भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
12.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2123 का उत्तर

चौकीदार सहित समपारों की संख्या

2123. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौकीदार सहित समपारों (एमएलसी) की संख्या कितनी है और साथ ही पिछले पांच वर्षों (2019-24) के दौरान प्रत्येक वर्ष समाप्त किए गए एमएलसी की राज्यवार और रेलवे जोनवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान, सड़क उपरिपुल (आरओबी) और सड़क अधोगामी पुल (आरयूबी) के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश से प्राप्त प्रत्येक आरओबी और आरयूबी के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान, आरओबी और आरयूबी के निर्माण के लिए आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) आंध्र प्रदेश में पूर्ण हो चुके आरओबी और आरयूबी, जिसमें उनका स्थान, परियोजना लागत और पूरा होने की तिथि शामिल है, का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा एमएलसी को समाप्त करने और आरओबी/आयूरबी के निर्माण में किसी भी विलंब के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): पिछले पांच वर्षों (2019-24) के दौरान राज्य-वार और क्षेत्र-वार चौकीदार वाले रेल फाटकों (एमएलसी) और समाप्त किए गए चौकीदार वाले रेल फाटकों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य	दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार चौकीदार वाले रेल फाटक (बड़ी लाइन)	वर्ष 2019-2024 तक समाप्त किए गए रेल फाटकों की संख्या	क्र. सं.	रेलवे	दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार चौकीदार वाले रेल फाटक (बड़ी लाइन)	वर्ष 2019-2024 तक समाप्त किए गए रेल फाटकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	885	309	1	मध्य रेलवे	385	321
2	असम	860	36	2	पूर्व रेलवे	986	90
3	बिहार	1786	310	3	पूर्व मध्य रेलवे	1515	330
4	चंडीगढ़	3	1	4	पूर्व तट रेलवे	668	147
5	छत्तीसगढ़	183	66	5	उत्तर रेलवे	2628	577
6	दिल्ली	24	4	6	उत्तर मध्य रेलवे	624	291
7	गोवा	7	3	7	पूर्वोत्तर रेलवे	1372	387
8	गुजरात	1432	579	8	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1442	82
9	हरियाणा	440	166	9	उत्तर पश्चिम रेलवे	876	406
10	हिमाचल प्रदेश	13	1	10	दक्षिण रेलवे	1682	279
11	जम्मू और कश्मीर	28	7	11	दक्षिण मध्य रेलवे	1095	445
12	झारखंड	365	154	12	दक्षिण पूर्व रेलवे	781	217
13	कर्नाटक	629	186	13	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	345	105
14	केरल	381	32	14	दक्षिण पश्चिम रेलवे	670	211
15	मध्य	611	279	15	पश्चिम रेलवे	1630	667

	प्रदेश						
16	महाराष्ट्र	650	433	16	पश्चिम मध्य रेलवे	384	210
17	मणिपुर	0	0		कुल	17083	4765
18	मिजोरम	1	0				
19	नागालैंड	1	0				
20	ओडिशा	675	144				
21	पुदुच्चेरी	21	0				
22	पंजाब	976	175				
23	राजस्थान	876	453				
24	तमिलनाडु	1285	222				
25	तेलंगाना	263	152				
26	त्रिपुरा	15	0				
27	उत्तर प्रदेश	2889	858				
28	उत्तराखंड	149	16				
29	पश्चिम बंगाल	1635	179				
	कुल	17083	4765				

रेल फाटक (एलसी) के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (आरओबी)/निचले सड़क पुलों (आरयूबी) के निर्माण कार्यों को स्वीकृत करना भारतीय रेल की एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे निर्माण कार्यों को रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा, गाड़ियों के आवागमन और सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर शुरू किया जाता है।

वर्ष 2004-14 की तुलना में वर्ष 2014-24 के दौरान भारतीय रेल में निर्मित किए गए ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित किए गए ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-24	11,945 अदद(लगभग तीन गुना)

राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडल कार्यालयों इत्यादि सहित विभिन्न स्तरों पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्ताव/शिकायतें/सुझाव प्राप्त होना एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केंद्रीकृत संग्रह नहीं रखा जाता है। हालाँकि, इनकी जाँच की जाती है और व्यवहार्य और उचित पाए जाने पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

दिनांक 01.02.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर ₹ 97,422 करोड़ की लागत पर 4344 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य में ₹ 9455 करोड़ की लागत पर 282 अदद ऊपरी सड़क पुल (आरओबी)/निचले सड़क पुलों (आरयूबी) के निर्माण कार्य शामिल हैं। वर्ष 2019-24 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 320 अदद ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया।

वर्ष 2019-24 के दौरान भारतीय रेल पर किया गया वर्ष-वार व्यय निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय करोड़ रूपये में
1	**2019-20**	3,520
2	2020-21	4,140
3	2021-22	4,225
4	2022-23	4,827
5	2023-24	6,097
	कुल	22,809

sk

ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों को पूरा करना और कमीशन करना, रेल फाटकों को बंद करने में राज्य सरकार की सहमति, पहुंच मार्ग संरेखण को निर्धारित करने, सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, **बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां**, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना/ओं विशेष स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या इत्यादि **जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।** ये सभी कारक परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के पूरा किए जाने के समय को प्रभावित करते हैं।

रेलवे द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख) जीएडी (को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

(ii) ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की समय-समय पर बैठकें की जाती हैं।

(iii) रेलवे के हिस्से पर सड़क के स्पैन, तिरछेपन और चौड़ाई से संबंधित विभिन्न संयोजनों के लिए अधिसंरचनाओं के आरेखों का मानकीकरण किया गया है ताकि डिजाइन के अनुमोदन के दौरान विलंब न हो। इसे एक संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के लिए त्वरित नियोजन के लिए सीधे रूप में अपनाया जा सकता है।

(iv) जहाँ कहीं संभव हो, रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों को एकल इकाई के आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहे, तो रेलवे द्वारा उन्हें एकल इकाई के आधार पर कार्य निष्पादन की अनुमति दी जा सकती है।

****

sk